


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1730 / 2013.....जिला.....झुंझुनू.....

उनवान= सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम, सर्किल झुंझुनू बनाम पवन स्टोन केशर, झुंझुनू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुक्म की तामी में जारी हुए
27.03.2015	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री मदनलाल - सदस्य</u> <u>आशा कुमारी - सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी विभाग की ओर से श्री डी.पी.ओ.झा उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित, प्रत्यर्थी व्यवसायी अनुपस्थित।</p> <p>विभाग के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, झुंझुनू (कर निर्धारण अधिकारी) द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा <u>राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/ 2009-188 दिनांक 09.02.2015</u> का लाभ लेना चाहते हैं, अतः प्रकरण को Withdraw करने की अनुमति प्रदान करें।</p> <p>फलस्वरूप कर निर्धारण अधिकारी के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्वद्धा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्वद्धा खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (आशा कुमारी) सदस्य </p> <p style="text-align: right;">  (मदन लाल) सदस्य </p>	